न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2667/विधि सहरसा, दिनांक 13-9-2023

प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपील वाद सं0–223/2013 में दिनांक–12.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय भूमि विवाद अपीलवाद सं0–171/2012 से संबंधित अभिलेख कुल–123 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक–यथोपरि।

प्रतिलिपिः– सुरेन्द्र नारायण सिंह, पति–स्व0 दुनबहादुर सिंह / नारायण सिंह व गोविन्द सिंह, दोनों पिता–स्व0 चुनचुन सिंह सभी सा0–बलथी, टोला–नवीन नगर, पो0–सरडीहा, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(8)

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आदेश पत्रक – ता0...से..

जिला..., सं0.., सन् १९...........................तक

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
12/09/2023		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपीलवाद संख्या:–223/2013

सुरेन्द्र नारायण सिंह.......................अपीलकर्त्ता

–बनाम–

नारायण सिंह वगैरह...................रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद सुरेन्द्र नारायण सिंह, पिता–स्व0 दुनबहादुर सिंह, सा0–बलथी, टोला–नवीन नगर, पो0–सरडीहा, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा–14 के तहत न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरी बख्तियारपुर में उनके द्वारा दायर भूमि विवाद वाद सं0–171/2012 में दिनांक 14.03.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में नारायण सिंह व गोविन्द सिंह दोनों पिता–स्व0 चुनचुन सिंह, सा0–बलथी, टोला–नवीन नगर, पो0–सरडीहा, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा को पक्षकार बनाया गया है।

वादगत भूमि का विवरण निम्न है :–

मौजा/थाना नं0	खाता नं0 (पु0)	खेसरा नं0 (पु0)	रकवा	चौहद्दी
बलथी/136	136	201	0–01–10 (एक कट्ठा दस धूर)	उत्तर–कुआँ एवं दीपनारायण सिंह दक्षिण–मुरली सिंह हाल नारायण सिंह व गोविन्द सिंह पूरब–यमुना सिंह हाल नारायण सिंह व गोविन्द सिंह पश्चिम–सड़क एवं गैरमजरूआ खाली जमीन

अपीलार्थी का मूलरूप से कहना है कि वादगत भूमि उनके पिता–दुनबहादुर सिंह को भूतपूर्व जमीन्दार मुरत सिंह से बन्दोवस्ती के द्वारा प्राप्त था। उनके पिता नियमित रूप से रेंट का भुगतान कर जमीन्दारी रसीद प्राप्त करते थे। बन्दोवस्ती के पश्चात उक्त भूमि पर उनके पिता का दखल–कब्जा हुआ। जमीन्दारी के समय ही भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा उनके पिता दुनबहादुर सिंह के नाम से रिटर्न दाखिल कर दिया तथा उक्त भेस्टिंग

रकवा–34 डिसमिल भूतपूर्व जमीन्दार मूरत सिंह के वारिसानों के नाम से कायम हुआ। पूर्व में अपीलार्थी के पिता के द्वारा पुराना खेसरा–148 पर घर बनाते समय वादगत खेसरा से मिट्टी काटकर भरा गया। अपीलार्थी का कथन है कि इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के पूर्वजों का दखल कब्जा था। दुनबहादूर सिंह के मृत्यु के उपरान्त उनके एकमात्र पुत्र होने के कारण प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के दखल कब्जा में आ गया। अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षीगणों का प्रश्नगत भूमि से किसी प्रकार का संबंध नहीं था, किन्तु उनके द्वारा गैरकानूनी ढंग से बलपूर्वक प्रश्नगत भूमि के आइमेड़ को तोड़ा जाने लगा, तब अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय में भूमि विवाद वाद दायर करना पड़ा, किन्तु उनके द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 14.03.2013 को गैर कानूनी ढंग से उक्त वाद सं0–171/2012 को खारिज कर दिया गया। उक्त आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा यह अपील दायर किया गया है। इस न्यायालय मे साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है, किन्तु निम्न न्यायालय अभिलेख मे संलग्न उनके साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

विपक्षी की ओर से दाखिल लिखित जवाब एवं बहस में भाग लेते हुए उनके विज्ञ अधिवक्ता का मूल रूप से कहना है कि अपीलार्थी, जो निम्न न्यायालय में वादी थे, का प्रस्तुत अपीलवाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत नहीं आता है। उनके अनुसार अपीलार्थी के द्वारा जिस अनुतोष की याचना की गई है, वह रैयती भूमि से संबंधित है एवं अधिनियम के अन्तर्गत रैयती भूमि, जिसमें स्वत्व का प्रश्न संश्लिष्ट है, उसका निराकरण उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं हो सकता है एवं इसी आधार पर अपीलार्थी का यह अपीलवाद खारिज योग्य है। प्रत्यर्थीगणों का यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि पुराना खेसरा–201, 200, 202 के अंश से नया खेसरा–264 बना एवं पारिवारिक व्यवस्था के तहत नया खेसरा–262 का रकवा–34 डी0 मूरत सिंह एवं उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त रहते आया, जो पुराना खेसरा–201 के पूरब अवस्थित था एवं मध्य में खेसरा–263 का रकवा–18 डी0 उपेन्द्र सिंह को प्राप्त रहते आया एवं सबसे पश्चिम खेसरा–264 का एराजी सर्वनारायण सिंह, पिता–रामधारी सिंह को हासिल रहता आया है। तदनुसार भूतपूर्व जमीन्दार के सिरिस्ता में जमाबंदी भी सर्वनारायण सिंह के नाम से चलता आया। उनके अनुसार खाता (पु0)–200, 201 एवं 202 से बने

रहते आया, जो धबौली के रहने वाले थे एवं उक्त एराजी पर उनका हक व दखल कब्जा रहता आया एवं बिहार सरकार के अंचल सिरिस्ता में उनके नाम से जमाबंदी कायम रहते आया। उनके अनुसार उक्त खतियानी रैयत सर्वनारायण सिंह वो गोविन्द सिंह–1 अंश वो शिवशंकर सिंह वगैरह–1 अंश के द्वारा रजिस्ट्री केवाला सं0–18049 दिनांक 14.12.1976 से विपक्षीगणों को विक्री किए एवं विक्री सुदा एराजी पर दखल–कब्जा दिला दिए। उक्त केवाला के आधार पर अंचल सिरिस्ता ने दाखिल–खारिज कराकर जमाबंदी सं0–1435/264 विपक्षीगणों के नाम से कायम हुआ तथा वर्ष 2014–15 तक्क लगान रसीद भी प्राप्त किया गया है। उक्त स्थिति में अपीलार्थी के द्वारा, जो रिटर्न दुनबहादूर सिंह के नाम से दाखिल होने का कायम किया गया है, वह बिल्कुल गलत है एवं इस तरह का कोई रिटर्न दाखिल भी किया जाता है तो वह विवादी भूमि के निश्वत नहीं है एवं जाली फरेबी है। विपक्षीगणों का कहना है कि हाल सर्वे खतियान एवं इन्द्राज वर्ष 1964–65 में ही तैयार हुआ लेकिन अपीलार्थी ने सर्वे एवं चकबन्दी के किसी भी स्टेज में कोई आपत्ति दाखिल नहीं किया एवं 40 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जा रहा है जबकि भूमि पर विपक्षीगणों का दखल–कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी का यह भी कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा गलत चौहद्दी बताकर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जा रहा है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय में भी अपने बन्दोवस्ती के सम्पुष्टि में कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वे सिर्फ जाल कर सृजित किये हुए दो जमीन्दारी रसीद दाखिल कर न्यायालय को गुमराह कर आदेश प्राप्त करना चाहते थे। विपक्षीगणों के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा वाद में लिए गए अन्य आधारों को भी विधि विरूद्ध एवं झूठा रचकर तैयार किया गया बताया गया है। तदालोक में विपक्षीगणों के द्वारा अपीलवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों, उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा रखे गये इस तथ्य पर संज्ञान लिये बिना ही आदेश पारित किया गया है कि अपीलार्थी के पिता को उक्त भूमि भूतपूर्व जमींदार से बन्दोवस्ती के द्वारा प्राप्त था। निम्न न्यायालय आदेश दखल कब्जा तथा विपक्षीगणों को रजिस्ट्री से प्राप्त होने तथा उनके दखल कब्जा का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा इस तथ्य का

प्रतिप्रेषित किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।